

उपस्थान अधिकारी  
मेवाड़ शहर (जोधपुर)

26/6/19

~~पतापत्रिका~~ पर हुई वस्तु प्राप्त अथवा

~~वकील~~ द्वारा न जाय प्राप्त पत्र

नया पता न/प/उ  
जोधपुर शहर  
रामपुरी के पास  
नि.श्री.म. आदी  
पर प्राप्त  
होय

स्वादि  
श्री

३५५

पर करने के अधिकारी को सुरक्षित  
 रखते हुए प्राप्ति पर जारी विज्ञापन  
 खारिज करने का निवेदन किया है  
 कि: वकील साहनी को प्राप्ति पर  
 पुनः पुनः करने के अधिकारी को  
 सुरक्षित हुए प्राप्ति पर जारी  
 विज्ञापन खारिज किया जाता है।  
 किंतु सुना होकर बंधन

का है।

**अध्यक्ष न्यायालय दूर**  
**उपस्थित अधिकारी**  
**नगर गढ़वा (जोधपुर)**